

अंचल कार्यालय, वाराणसी, S- 19/33, मो. एकराम बिल्डिंग, वरुणा ब्रिज, नदेसर,
वाराणसी - 221002, फोन: 0542 2507573, ईमेल: Z750@indianbank.bank.in

विज्ञापन संख्या- 02/2025-26

मासिक पारिश्रमिक सहित संविदा के आधार पर प्राधिकृत डॉक्टर की नियुक्ति

इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, वाराणसी S-19/33, मो. एकराम बिल्डिंग, वरुणा ब्रिज, नदेसर, वाराणसी के लिए नियत मासिक मानदेय/ पारिश्रमिक पर प्राधिकृत डॉक्टर (संविदा के आधार पर) के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित हैं। पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन मुख्य प्रबंधक, इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, वाराणसी, S- 19/33, मो. एकराम बिल्डिंग, वरुणा ब्रिज, नदेसर, वाराणसी-221002 में 31.01.2026 को शाम 05:00 बजे तक या उससे पहले पहुँच जाने चाहिए।

पात्रता, निबंधन एवं शर्तें:

1. आवेदक के पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में न्यूनतम एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए।
2. आवेदक के पास किसी भी अस्पताल या क्लीनिक में मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में न्यूनतम 10 साल का अनुभव (अर्हता पश्चात का अनुभव) होना चाहिए।
3. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा के आधार पर) का पारिश्रमिक नियत होगा।
4. चिकित्सा परामर्शदाता को कार्य दिवसों के दौरान बैंक परिसर में एक निर्धारित समय पर प्रति सप्ताह न्यूनतम दस घंटे की सेवा देनी होगी।
5. यह पैनलबद्धता/संविदा तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी, जिसमें अर्द्धवार्षिक आधार पर कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी। इस अवधि को ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर बढ़ाया जायेगा जो दोनों पक्षों को परस्पर स्वीकार्य हों।
6. बैंक को समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप अपने विवेक से ड्यूटी/कार्य समय, कार्यालय के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
7. इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार, कृपया अनुलग्नक-IV में दी गई चेकलिस्ट सहित अनुलग्नक-III दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। आवेदन को एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाए जिस पर लिखा हो: "संविदा के आधार पर प्राधिकृत डॉक्टर के पद के लिए आवेदन"

चयन प्रक्रिया:

1. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए बैंक साक्षात्कार आयोजित करेगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानदंड बढ़ाने का अधिकार रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। पात्रता मानदंड को पूरा कर लेने मात्र से कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा।
2. उन लोगों के अलावा, जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है, बैंक उन आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाना है।
3. पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाए जाने तथा अनुलग्नक-I में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों तथा अनुलग्नक-II में उल्लिखित आचार संहिता को स्वीकार करने के अधधीन किया जायेगा।
4. चयनित आवेदक को प्राधिकृत चिकित्सक (संविदा के आधार पर) के रूप में नियुक्ति से पहले बैंक के साथ नियत मासिक मानदेय/पारिश्रमिक पर संविदा हेतु एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा।

दिनांक: 08.01.2026

अंचल प्रबंधक

रूपाली सिंह/Roopali Singh
अंचल प्रबंधक/Zonal Manager
इंडियन बैंक/ Indian Bank
अंचल कार्यालय वाराणसी
Zonal Office Varanasi

प्राधिकृत डॉक्टर (संविदा के आधार पर) की सेवाएं प्राप्ति हेतु - संविदा के निबंधन एवं शर्तें

1. चिकित्सा परामर्शदाता, इंडियन बैंक अंचल कार्यालय वाराणसी में कार्य दिवसों के दौरान नियत समय पर प्रतिदिन 2 (दो) घंटे अपनी सेवाएँ देने के लिए सहमत है। यदि बैंक के कार्यालय स्थल में कोई परिवर्तन होता है, तो चिकित्सा परामर्शदाता उस परिवर्तित स्थान पर अपनी सेवाएँ देना जारी रखेगा/रखेगी। चिकित्सा परामर्शदाता यह वचन देता है कि उपर्युक्त दिनों में से किसी दिन उपस्थित नहीं हो पाने की स्थिति में वह अगले कार्य दिवस पर उपस्थित होने के लिए बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा/करेगी।
2. चिकित्सा परामर्शदाता शाम, रात एवं सप्ताहांत सहित किसी भी समय आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है, जो स्थिति की मांग के अनुसार यथोचित रूप से उन्हें निर्दिष्ट किया गया हो, चाहे वह उनके शिड्यूल हो या अन्यथा हो।
3. चिकित्सा परामर्शदाता, उन दिनों में उपस्थित रहने के लिए सहमत हैं, जिन दिनों बैंक की बोर्ड/प्रबंधन समिति की बैठकें इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, वाराणसी, S- 19/33, मो. एकराम बिल्डिंग, वरुणा ब्रिज, नदेसर, वाराणसी - 221002 में आयोजित की जाती हैं (भले ही वे दिन उपर्युक्त सेवा के लिए निर्धारित दिनों से अलग हों) और जब भी आवश्यकता होगी वह वहाँ उपस्थित रहेंगे।
4. चिकित्सा परामर्शदाता, बैंक के कार्यपालकों एवं उनके परिवार को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी की सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है। जब भी आवश्यकता हो, वे कार्यपालकों के परिवार के सदस्यों की सेवा हेतु उनके घर का दौरा करने के लिए सहमत हैं। ऐसी विजिट के लिए कोई विजिट शुल्क/परामर्श शुल्क नहीं लिया जाएगा।
5. चिकित्सा परामर्शदाता, बैंक के कर्मचारियों द्वारा छुट्टी/स्थानांतरण अनुरोध आदि के लिए प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाणपत्रों पर चिकित्सा/तकनीकी सलाह देने के लिए सहमत है।
6. चिकित्सा परामर्शदाता, वर्तमान / भविष्य में स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सीय योग्यता प्राप्त होने /प्राप्त किए जाने के बावजूद सामान्य चिकित्सक की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहमत होते हैं। चिकित्सा परामर्शदाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी योग्यताएँ या भविष्य में प्राप्त होने वाली कोई योग्यता उन्हें सामान्य चिकित्सक की सेवाएँ प्रदान करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगी और यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की किसी शर्त के अनुसार उनके द्वारा धारित या अर्जित कोई भी योग्यता, जैसी स्थिति हो, सामान्य चिकित्सक के रूप में कार्य करने के लिए उक्त वर्णित बैंक की अपेक्षाओं के प्रतिकूल पाई जाती है, तो उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी परिस्थिति में इस कारण से बैंक के ऊपर कोई देयता या जिम्मेदारी ना आए और उनके द्वारा इस संबंध में क्षतिपूर्ति की जाएगी तथा बैंक को सदैव क्षतिपूर्ति रखा जाएगा।
7. चिकित्सा परामर्शदाता इस बात से सहमत है कि वह बैंक के अधिकारियों, लिपिक कर्मचारियों और बैंक के अधीनस्थ कर्मचारी या उनके परिवार (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के अंतर्गत आंतरिक रूप से भर्ती किए जाने के लिए) सहित सभी बैंक कर्मचारियों को अस्पताल की सुविधा की आवश्यकता होने पर अस्पताल में ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने में उनकी आवश्यक सहायता करेगा/करेगी।
8. चिकित्सा परामर्शदाता एतद्वारा प्रतिपादित और प्रमाणित करता/करती है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और किसी अन्य प्राधिकृत निकाय के साथ उसका पंजीकरण सही और वैध है तथा इस करार की अवधि के दौरान यह सही और वैध बना रहेगा।
9. चिकित्सा परामर्शदाता कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, चिकित्सा शिविर या बैंक द्वारा समय-समय पर आयोजित किसी अन्य कार्यक्रम में भाग लेने और उपस्थित रहने के लिए एतद्वारा सहमति व्यक्त करता है।

10. चिकित्सा परामर्शदाता, नियुक्ति के दायरे में बैंक द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए एतद्वारा सहमत है।
11. चिकित्सा परामर्शदाता, बैंक में कार्यरत रहने के दौरान इस संविदा के साथ संलग्न आचार संहिता का पालन करने का वचन देता है।
12. बैंक, चिकित्सा परामर्शदाता को स्रोत पर लागू कर (टीडीएस) की कटौती करने के उपरांत घोषणा के आधार पर हर महीने ₹..... के समेकित मानदेय का भुगतान करेगा।
13. यदि चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी समय अपने कार्य से अनुपस्थित रहता/रहती है, तो बैंक किसी भी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके मानदेय से उसकी ऊट्टी से अनुपस्थित रहने के प्रत्येक दिन के लिए आनुपातिक राशि की कटौती करने का हकदार होगा। ऐसी अनुपस्थिति के लिए कोई परिवहन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
14. बैंक, चिकित्सा परामर्शदाता की ओर से किसी भी मेडिकल एसोसिएशन/क्लब आदि को सदस्यता शुल्क सहित कोई भी अंशदान नहीं देगा।
15. चिकित्सा परामर्शदाता इस बात पर सहमत हैं कि इस करार के तहत की गई नियुक्ति अस्थायी है। चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी चरण में नियमित रोजगार या बैंक कर्मचारियों के बराबर के वेतन एवं भत्ते का दावा नहीं करेगा। इस समझौते के तहत पार्टियों के बीच मालिक और नौकर का कोई संबंध नहीं होगा।
16. बैंक बीमार/जरूरतमंद कर्मचारियों की जांच के तुरंत बाद कार्य स्थल पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं सहित प्राथमिक चिकित्सा किट एवं आवश्यक दवाएं उपलब्ध करा सकता है।
17. बैंक, चिकित्सा परामर्शदाता को एक माह का नोटिस जारी करने के उपरांत, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय संविदा को वापस लेने/रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार रखता है।
18. इस सेवा संविदा को किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
19. इस संविदा के निबंधनों एवं शर्तों से संबंधित विवाद, यदि कोई हो, तो वह केवल <चेन्नै> के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।
20. चिकित्सा परामर्शदाता इस बात से सहमत है कि वह अपनी चिकित्सा में हुई लापरवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा/होगी और बैंक इस संबंध में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगा तथा चिकित्सा परामर्शदाता अपने किसी भी लापरवाहीपूर्ण कृत्य के कारण किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किए गए सभी दावों के एवज़ में बैंक सहित समस्त कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करेगा/करेगी और क्षतिपूर्त रहेगा।

संविदागत आधार पर नियत पारिश्रमिक सहित प्रति घंटे पर आधारित सेवाओं हेतु नियुक्त चिकित्सा परामर्शदाता के लिए आचार संहिता

1. चिकित्सा परामर्शदाता, को समय-समय पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले उन समस्त आदेशों एवं निर्देशों का पालन एवं अनुपालन करना होगा, जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में वह उस समय तैनात होगा।
2. चिकित्सा परामर्शदाता, बैंक तथा इसके घटकों के मामलों की गोपनीयता का सख्ती से अनुपालन करेगा और जब तक उसे न्यायालय अथवा अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए अथवा उसके कर्तव्य के निर्वहन के दौरान जब तक बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए निर्देश न दिया जाए। वह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी आम नागरिक अथवा बैंक के कर्मचारी के समक्ष गोपनीय प्रकृति की किसी भी सूचना को प्रकट नहीं करेगा / करेगी।
3. चिकित्सा परामर्शदाता, बैंक की सेवा ईमानदारी और विश्वसनीयता के साथ से करेगा/करेगी और बैंक के हितों के संवर्धन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा/करेगी। वह, अपने सभी प्रकार के कार्यों एवं लेन-देनों के मामले में शिष्टाचार तथा मनोयोग का प्रदर्शन करेगा / करेगी।
4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता, राजनीति अथवा राजनैतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा और न वह नगरपालिका परिषद, जिला बोर्ड अथवा किसी वैधानिक निकाय की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ेगा।
5. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी श्रमिक संघ अथवा ऐसे संघों के किसी महासंघ की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा / का पदधारक नहीं बना रह सकेगा अथवा वह उसकी संविदा की शर्तों से किसी भी प्रकार संबंधित किसी मामले में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी प्रकार के हड़ताल अथवा किसी हिंसक, अनुचित व अशोभनीय प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा।
6. बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी सूचना न तो प्रेस को देगा और न ही बैंक के चिकित्सा सलाहकार के रूप में उसकी अधिकारिता में आए किसी भी प्रलेख, कागजात अथवा सूचना का प्रकाशन करेगा।
7. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा / मांगेगी अथवा ग्रहण नहीं करेगा / करेगी।
8. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति प्राप्त किए बगैर ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा / रहेगी। किसी अनुपस्थिति की स्थिति में, उसकी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा / रहेगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक समय में पाँच दिनों से अधिक अवधि की नहीं होगी।
9. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को प्रदान की जाने वाली उसकी सेवा की आउटसोर्सिंग नहीं करेगा / करेगी।
10. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता -
ए) किसी भी क्षेत्र में लागू जहां वह फिलहाल मौजूद हो मादक पेय या ड्रग्स से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करना;
बी) ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं रहेगा तथा यह भी ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का निर्वहन में किसी भी तरह से ऐसे पेय या ड्रग्स के प्रभाव से प्रभावित न हो;
सी) सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मादक पेय या ड्रग्स का सेवन करने से बचे;
डी) नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर न दिखें;
ई) किसी भी नशीले पेय या ड्रग्स का अत्यधिक उपयोग न करें।

व्याख्या: "सार्वजनिक स्थल" नामक शब्द में विशिष्ट तौर पर सदस्यों के लिए सीमित क्लब- जहाँ सदस्य को गैर-सदस्यों को भी बतौर अतिथि आमंत्रित करने की अनुमति है, बार तथा भोजनालय, सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य सभी स्थान शामिल होंगे जहाँ आम नागरिकों को भुगतान के आधार पर अथवा अन्यथा प्रवेश की अनुमति है।

11. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर तैनात कर्मचारियों के किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न में संलिप्त नहीं होगा।

व्याख्या: प्रयोजनार्थ "यौन उत्पीड़न" में प्रत्यक्ष अथवा सांकेतिक अवांछित यौनाचारी व्यवहार, यथा:

ए) अंग स्पर्श तथा ऐसी चेष्टा,

बी) यौन संबंध की मांग अथवा अनुरोध,

सी) कामोद्दीपक टिप्पणियां,

डी) पोर्नोग्राफी दिखाना,

ई) अन्य सभी अवांछित कामुक प्रकृति की शारीरिक अथवा सांकेतिक आचरण।

12. यदि किसी चिकित्सा परामर्शदाता को किसी ऋण अथवा आपराधिक आरोप में गिरफ्तार अथवा किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया जाता है तो, यह संविदा रद्द की जा सकेगी।

13. उपर्युक्त उल्लिखित प्रावधान नैदानिक उद्देश्यों या अन्य अध्ययन / कार्य के लिए उसके या किसी व्यक्ति द्वारा नमूना या सामग्री को संदर्भित करने, सिफारिश करने या खरीद के लिए समान प्रभाव के साथ लागू होगा।

14. यदि कोई चिकित्सा परामर्शदाता उपर्युक्त उल्लिखित बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा स्वीकार किए गए अनुलग्नक के नियमों और शर्तों को भंग करता है, लापरवाही, अक्षमता या अकर्मण्यता प्रदर्शित करता है या जानबूझकर कुछ भी ऐसा करता है जो बैंक के हितों के लिए हानिकारक हो या उसके अनुदेशों के साथ विरोधाभासी हो या कदाचार के किसी अन्य कार्य के लिए दोषी है तो ऐसी स्थिति में संविदा को समाप्त किया जा सकता है।

आवेदन पत्र

अनुबंध के आधार प्राधिकृत डॉक्टर की नियुक्ति के लिए आवेदन

1. पूरा नाम: श्री/श्रीमती/सुश्री
(बड़े अक्षरों में लिखें, पहले उपनाम लिखें)
2. पिता/पति का नाम:
3. (ए) विस्तृत पता:

आवेदक का पासपोर्ट
आकार का रंगीन फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

निवास स्थान	अस्पताल/क्लिनिक जहां वर्तमान में कार्य कर रहे हैं

बी) सम्पर्क सूत्र :

मोबाइल नंबर :

लैंडलाइन नंबर:

ई मेल आईडी :

(सी) स्थित बैंक के भवन से अनुमानित दूरी:

परिसर	अंचल कार्यालय, वाराणसी, S- 19/33, मो. एकराम बिल्डिंग, वरुणा ब्रिज, नदेसर, वाराणसी - 221002		
से	निवास स्थान	अस्पताल	
दूरी (लगभग कि.मी. में)			

4. ए.) जन्म तिथि:

दि	न	मा	ह	वर्ष

बी.) आयु:

(आयु यथास्थिति.....)

5. जन्म स्थान एवं निवास स्थान:

6. राष्ट्रीयता:

7. क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित (सामान्य) वर्ग से संबंधित हैं:

8. शैक्षणिक अर्हता:(प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा का उल्लेख करें, उच्चतम से न्यूनतम के क्रम में)

डिग्री / डिप्लोमा	विश्वविद्यालय / बोर्ड	उत्तीर्णता का माह/प्राप्त श्रेणी /रैंक एवं वर्ष

9. चिकित्सा क्षेत्र में पूर्ण किए गए किसी अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम का विवरण:

10. अनुभव का विवरण - (केवल स्नातक के बाद का अनुभव दर्ज करें।)

क्रम सं.	अस्पताल का नाम	से	तक	अवधि	
				वर्ष	महीना/नें
अस्पताल में (चिकित्सक के रूप में)					
1					
2					
3					
सामान्य चिकित्सक के रूप में					
1					
2					
3					

11. कोई अन्य विषय जिसे आवेदक अपने आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहेंगे:

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस फॉर्म में मेरे द्वारा दी गई जानकारी और विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं यह भी नोट करता/करती हूँ कि यदि उपर्युक्त कथनों में से कोई भी गलत या झूठा है या यदि कोई महत्वपूर्ण जानकारी या विवरण छिपाया गया है या छोड़ दिया गया है, तो मेरी चिकित्सा परामर्श सेवाएँ बिना किसी नोटिस या नोटिस के बदले में मुआवज़ा दिए बिना समाप्त की जा सकती हैं। मैं अनुलग्नक-I के तहत उल्लिखित नियमों और शर्तों और अनुलग्नक-II के अनुसार आचार संहिता से सहमत हूँ।

दिनांक :

स्थान:

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)

निर्देश:

1. इस फॉर्म में सभी विवरण आवेदक द्वारा भरे जाने चाहिए।
2. जिन आवेदनों में पूर्ण विवरण/ब्यौरे नहीं होंगे, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. आवेदन के साथ पहचान और पता प्रमाण, आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।
4. आवेदन के साथ अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
5. यदि अभ्यर्थी किसी संस्थान में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है तो उसका विवरण तथा उसकी कार्य अवधि को भी दर्शाया जाना चाहिए।

जाँचसूची / घोषणा

1.	नाम	
2.	आवासीय पता	
3.	शैक्षणिक अर्हता *	
4.	जन्मतिथि और आवेदन जमा करने की तिथि के अनुसार आयु	
5.	अपेक्षित मानदेय	
6.	कार्य स्थल	इंडियन बैंक कार्यालय और क्लिनिक/अस्पताल जहाँ भी कार्यरत हैं।
7.	स्टाफ सदस्यों की जांच के लिए एक दिन में सहमत घंटों की संख्या (न्यूनतम 2 घंटे)	
8.	प्रति सप्ताह स्टाफ सदस्यों के जांच के लिए उपस्थित होने हेतु स्वीकृत दिनों की संख्या (न्यूनतम 3 दिन)	3 / 4 / 5 / सभी कार्य दिवस
9.	क्या डॉक्टर स्टाफ सदस्यों/ उनके परिवार के सदस्यों को क्लिनिक की कार्य अवधि के दौरान अपने क्लिनिक में परामर्श लेने की अनुमति देंगे?	हां/ नहीं
10.	क्या डॉक्टर चिकित्सा बिलों की प्रोसेसिंग में इंडियन बैंक कार्यालय की सहायता करेंगे, जब भी राय मांगी जाएगी।	हां / नहीं
11।	क्या डॉक्टर तीन वर्ष के प्रारंभिक अनुबंध और उसके बाद पारस्परिक सहमति के शर्तों के अनुसार वार्षिक नवीकरण के लिए सहमत हैं।	हां / नहीं
12.	क्या डॉक्टर देखे गए मरीजों का लॉग बनाए रखने के लिए सहमत हैं।	हां/ नहीं

*कृपया संबंधित कागजात/डिग्री/पंजीकरण संलग्न करें।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर